

# समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

अधिसूचना

सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम Cigarettes and other Tobacco Product (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (COTPA) को जिले में प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 336 (12) पटना दिनांक 02-04-2012 के आलोक में जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति का गठन किया गया था, पर अधिसूचना में दिये गये निर्देश के अनुसार नहीं होने के कारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति District Tobacco Control Coordination Committee (DTCCC)" का पुनर्गठन किया जाता है।

गठित की गयी समिति में विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थानों के निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1. जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति	- अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा	- सदस्य
3. उप विकास आयुक्त, मधेपुरा	- सदस्य
4. सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति	- सदस्य सचिव
5. विशेष नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मधेपुरा	- सदस्य-सह-समन्वयक
6. जिला शिक्षा पदाधिकारी	- सदस्य
7. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी	- सदस्य
8. जिला परिवहन पदाधिकारी	- सदस्य
9. जिला पंचायती राज पदाधिकारी	- सदस्य
10. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा	- सदस्य
11. जिला खाद्य /औषधि नियंत्रक	- सदस्य
12. प्राचार्य, टी0पी0कॉलेज, मधेपुरा	- सदस्य
13. प्राचार्य, शिवनन्दन प्रसाद मंडल इंटर स्तरीय, मधेपुरा	- सदस्य
14. सचिव, रेडक्रास सोसाइटी, मधेपुरा	- सदस्य
15. प्रतिनिधि सोशियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) पटना	- सदस्य

उक्त समिति तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करेगी जो निम्नलिखित है :-

- COTPA 2003 को पूरे जिला में प्रभावी रूप से लागू कराने, चालान (दण्ड) व्यवस्था शुरू करने एवं मुल्यांकन तथा अनुश्रवण में सहयोग करना।
- तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कार्यों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हो ताकि केन्द्र सरकार के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित हो पाये।
- सभी प्रखंडों की अनुश्रवण /रहनुमाई समितियों का गठन तथा उसकी बैठक नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित किया जाना है।
- यह सुनिश्चित करना कि अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से अनुपालन कर रहे हैं तथा उनके द्वारा तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित कितने मामलों में फैसला किया गया है।
- तम्बाकू संबंधित मामले पर निर्णय लेना तथा प्रखंड स्तरीय समितियों को सुझाव एवं मार्गदर्शन देना।
- भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA 2003) की धारा-4,5,6 एवं 7 के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करना तथा जिला स्तरीय समिति को सूचित करना।
- जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति (DTCCC) के सदस्यों की त्रैमासिक बैठक सुनिश्चित करना।

तम्बाकू और संबद्ध उत्पादों के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष /Surrogate विज्ञापन के बारे में शिकायत दर्ज कराने हेतु आम जनता को अवसर प्रदान करना तथा प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना।

जिलाधिकारी  
मधेपुरा

ज्ञापांक 326

- गो० मधेपुरा, दिनांक 03/02/2014
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, मधेपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / पुलिस उप महानिरीक्षक, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), 303 बसंती कुंज अपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस रोड पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी / राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/2/14

नोडल पदाधिकारी  
तंबाकू नियंत्रण समिति  
मधेपुरा

2/2/14

जिलाधिकारी  
मधेपुरा

जिम्मा स्थानाधिकारी  
मधेपुरा

①